उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-21/2022/353प्र0स0/92-2-2022-62जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 23 अगस्त, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

वर्ष 2014-15 व 2015-16 के मध्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) एवं एकीकृत योजनान्तर्गत अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की तकनीकी स्वीकृति/निविदा स्वीकृति की निर्धारित सीमा 40 लाख से ऊपर के प्राक्कलन गठन कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने, उक्त कार्यो के प्राक्कलनों/निविदाओं हेतु दी गयी स्वीकृतियों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने तथा टुकडो में बॉट कर तकनीकी स्वीकृति/अनुबंध गठित किये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1730/92-2-2020-62जॉच/2017 दिनांक 28.12.2020 द्वारा श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियन्ता (पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1833/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/वी0के0 सिंह गौर/एस0टी0/2021-22 दिनांक 23-03-2022 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी श्री वी0के0 सिंह गौर पर अधिरोपित कुल 05 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित होना नही पाया गया किन्तु जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से भिन्न मत रखते हुये शासन के पत्र संख्या-393/92-2-2022-62जॉच/2017 दिनांक 27.05.2022 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से निविदा प्रक्रिया के संबंध में सभी बिन्दुओं पर पुन: परीक्षण करते हुए आख्या मॉगी गयी। निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र संख्या-161/ग्रा0 अ0वि0/स्था0-1/अनु0कार्य0/पत्रा0सं0-992/2022-23 दिनांक 03.06.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया कि निविदा प्रक्रिया विषयक शासनादेश दिनांक 19.08.2010 का उल्लंघन किया गया है। उक्त उल्लंघन से यद्यपि विभाग का अहित नही हुआ है।

3- अतएव जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, उक्त जॉच आख्या पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 03.06.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री गौर द्वारा निविदा प्रक्रिया शासनादेश दिनांक 19.07.2010 का उल्लंघन किया गया है। उक्त उल्लंघन से यद्यपि विभाग का अहित नही हुआ है। किन्तु इससे इनकार नही किया जा सकता कि उक्त उल्लंघन कर किसी को तो लाभ पहुँचाया गया होगा। अत: श्री वी0के0 सिंह गौर तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती (सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ) को उक्त सीमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तक दोषी मानते हुए इसके सापेक्ष उनको "प्रतिकूल प्रविष्टि" का दण्ड देते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1730/92-2-2020-62जॉच/2017 दिनांक 28.12.2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2022/353प्र0स0(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती (सम्प्रति अधीक्षण अभियंता परिमण्डल-आजमगढ) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।